

In the court of circle officer at deoghar

Certified copy of final order sheet of M.C No-323/13
order dated- 29-06-13, applicant Name- Sri Mohan Pal Barn
Date of Application date of filling date of ready date of delivery
01-07-13 02-07-13 02-07-13 3-07-13

CF NO- 854

आदेश

29-06-13

अभिलेख उपस्थापित। सन्तुत वाद आवेदक/आवेदिका
पिलौर कलमद में द्वे श्री अभिलेख कुमार उर्ध्वा पिलौर
उपर्युक्त प्रसाद (उमर) साठ ७०० कम्पटी बीड हवधार (२) जंधी-चडरेणी
साकिन धना ५५५३

जिला फैष्टर द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक/आवेदिका प्राप्त
मौजा करिपरकीधी धना सं. ५००

जमावन्दी संख्या ३२१८, १४/३४५६, रकवा ३१०६-पर्गफी

का नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल की है। दाखिल आवेदन के आधार पर सम्बिधित हल्का
कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से स्थानीय वो राजस्व अभिलेखों का जाँच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त
किया गया। तत्पश्चात् सोलह आना रैयत को आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। हल्का कर्मचारी वो अंचल
निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दाखिल कागजात के अनुसार आवेदक/आवेदिका द्वारा नामान्तरण
हेतु प्रस्तावित जमीन निवन्धित केवाला संख्या ३३९९, दिनांक १४.१२.१०
द्वारा प्राप्त कर शान्तिपूर्ण दखलकार हैं। विषयगत जमीन वसौँडी सत्य की है तथा भू-दान, लीज
एवं भू-हदवन्दी से मुक्त है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक विषयगत जमीन का नामान्तरण
आवेदक/आवेदिका के नाम से स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की है एवं अंचल अभीन ने भी नामान्तरण
की अनुशंसा की है।

अतः हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक की अनुशंसा, निवन्धित केवाला, शान्तिपूर्ण
दखल कव्या एवं अनापत्ति के आधार पर मौजा करिपरकीधी, धना
सं. ५००, जमावन्दी सं. ३२१८, १४/३४५६, रकवा नं. ३१०६-पर्गफी

रकवा ३१०६-पर्गफी का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका श्री प्रिलौर कलमद
कुमार उर्ध्वा साठ ७०० कम्पटी बीड हवधार (२) जंधी-चडरेणी
साकिन धना ५५५३

जिला फैष्टर के नाम से स्वीकृति दी जाती
है। अनुशंसित लगान १५.०० रुपये अलावे सेस वसूलनीय होगा। आवेदक/आवेदिका
मे ५.०० रुपये नाठ शुल्क प्राप्त करें। कार्यवाह सहायक शृद्धि पत्र
निर्गत करें तथा अनुपालन हेतु हल्का कर्मचारी को हस्तगत करायें।

टॉकेत कराया एवं शुद्ध किया।

अंचल अधिकारी
देवघर।

सच्ची प्रमाणित प्रसिलिपि
विषयगत ३-७-१३

अंचल अधिकारी
देवघर।

कलम किया

३-७-१३

दिनांक दिया

०३-७-१३

प्रधान सहायक
अंचल कार्यालय, देवघर
1872 के अधिनियम १ की पारा
७६ के अन्दर अधिकृत।

४-७-१३
८७८८
MOTAHIR HUSSAIN
30-AKSHAYA
2013-14

In the court of circle officer at segar

certified copy of final order sheet of M.C No - 1105/13+
order dated 18.01.14, applicant name - smt kanchan Gupta
date of application date of filing date of ready date of delivery
11.02.14 12.02.14 13.02.14 13.02.14

C.A NO - 112

18-1-14

आदेश

अभिलेख उपस्थिति प्रस्तुत वाद अवैदक/आवेदिका श्री मनी कृष्ण गुरु

लाइन श्री अमृत भूषण देवदास याना ३१६८

जिला रायगढ़ द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। अवैदक/आवेदिका
मौजा रायगढ़ याना सं. ४००

नमान्तरी संख्या ३२/८, १५/३४५६ ग्रंथि, रकवा ५१६० (परक्षार ८५५६६/८)

का नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल की है। दाखिल आवेदन के आधार पर सम्बन्धित हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से स्थानीय वो राजस्व अभिलेखों का जांच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् सोलह आना रैयत को आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दाखिल कागजात के अनुसार आवैदक/आवेदिका द्वारा नामान्तरण हेतु प्रस्तावित जमीन निवन्धित केवाला संख्या ९८३, दिनांक 29.8.10.

द्वारा प्राप्त कर शान्तिपूर्ण दखलकार हैं। विषयगत जमीन बसीड़ी सत्य की है तथा भू-दान, लीज एवं भू-ददवनी से मुक्त है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक विषयगत जमीन का नामान्तरण आवैदक/आवेदिका के नाम से रखीकृत करने हेतु अनुशंसा की है एवं अंचल अमीन ने भी नामान्तरण श्री अनुशंसा की है।

अतः हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक की अनुशंसा, निवन्धित केवाला, शान्तिपूर्ण

लाइन क्या एवं अनापनि के आधार पर मौजा रायगढ़ याना सं. ३२/८, १५/३४५६ ग्रंथि, रकवा ५१६० (परक्षार ८५५६६/८) का नामान्तरण अवैदक/आवेदिका श्री मनी कृष्ण गुरु

लाइन श्री अमृत भूषण देवदास याना ३१६८ के नाम से स्थानीय होगा। आवैदक/आवेदिका
मौजा रायगढ़ याना सं. ४००

मौजा अनुशंसित लगान २५.०० रु० अलावे सेस वसूलनीय होगा। आवैदक/आवेदिका
मौजा अनुशंसित लगान ५.०० रु० प्रत्येक नाम शुल्क प्राप्त करें। कार्यवाह सहायक शुल्क पत्र
निर्गत करें तथा अनुपालन हेतु हल्का कर्मचारी को इस्तगत करायें।

टोकित कराया एवं शुद्ध किया।

अंचल अधिकारी
देवघर

सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि

१८७२ मार्च १३.२.१४

प्रधान सचिव
अंचल कार्यालय, देवघर
1872 के अधिनियम 1 की धारा
76 के अन्दर अधिकृत।

अंचल अधिकारी
देवघर

नकल किया

13.02.14

मिलान किया

13.2.14

NOTARY REGD NO 22008
GUNT OF JHARKHAND
13.02.14

5000Rs

Acited copy of C-0 DeoLalji disposed Mr. C. H.
109-10 D.D.-20.11.09. Appellent - Smti. Kanchan Gupta.

Py of final order
of mothers
in lactation
11.09

Dabir
ready
27.11.09

~~27.11.09~~

2011.6

उत्तरार्द्धेश

अभियान उपरक्षित। प्रस्तुत दाता आयोजक/आर्थिका

प्राचीन भूमिका की दोहरी पानी देखा। द्वारा दाखिल आवद्ध पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक/आर्थिक
जिला..... द्वारा 21/02/2013

जिला..... दूर्गा पाना सं. 100
मोजा..... रामनगर कलापुरा रकम 2640
संख्या 1413456

नगावन्दी संख्या ३२४/१४/३५८६..... रकवा २६५० रुपये।
 का नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल की है। दाखिल आवेदन के आधार पर सार्वजनिक दलका कर्मचारी दो अद्वत् निरीक्षक से स्थानीय लो राजनव अधिलेश्व्री का गोप्य वायाका प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् सोलह आठा रैयत को आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। हल्का कर्मचारी दो अद्वत् निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दाखिल कागजात के अनुसार आवेदक/आवेदिका द्वारा नामान्तरण हेतु प्रमाणित जमीन नियन्त्रित केवाला संख्या १५४६, रिकार्ड २६/०६/०
 हेतु प्रमाणित जमीन नियन्त्रित केवाला संख्या १५४६, रिकार्ड २६/०६/०
 हेतु प्रमाणित जमीन यांत्री पत्त्व की है तथा पु. दास, नीम
 द्वारा प्राप्त कर शान्तिपूर्ण दखलकार है। दिपयगत जमीन यांत्री पत्त्व की है तथा पु. दास, नीम
 एवं पु. देश्वरी से मुक्त है। हल्का कर्मचारी द्वय द्वांशुक नियन्त्रित दिपयगत जमीन या तापान्तरण
 आवेदक/आवेदिका के नाम से श्वीकृत करने हेतु अनुच्छेद को हेद प्रयोग करने से जी उपराजन्म
 की अनुशंसा की है।

गुरु लक्ष्मण यात्रियां की अद्वा दिवसेके नियम, विधियां जैसे, यहाँ से

कल्पना एवं अनावृति के आधार पर लिखा गया है। इसका नाम जमावनी संख्या ३२५१४/३४५६ तथा ३७५, टप. १३।
प्रभावों का विवरण आवश्यक नहीं।

जिन्होंने अपनी प्राप्ति का लिया है वह उन्हें अपना जीवन का एक अत्यधिक विश्वासी व्यक्ति माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपनी प्राप्ति का लिया है वह उन्हें अपना जीवन का एक अत्यधिक विश्वासी व्यक्ति माना जाता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी प्राप्ति का लिया है वह उन्हें अपना जीवन का एक अत्यधिक विश्वासी व्यक्ति माना जाता है।

रामेन्द्र अग्रणी एवं शुद्ध किया।

अंदल आधिक
देवता :

संस्कृती एवं शास्त्र प्रतिलिपि

卷之三

वर्षात् विदा

मिलान फिरोज़ी

१८०२ के दो वर्षों की संख्या
में से अपने अधिकारी !